

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.5(209)खान/ग्रुप-2/06

जयपुर, दिनांक : 01.07.2010

संशोधित अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.5(209)खान/ग्रुप-2/06 दिनांक 01.07.2010 जो राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में दिनांक 01.07.2010 को प्रकाशित हुई है, कि द्वारा निकट ग्राम धनोरा, कारुन्दा, पायरी, मालियाखेडी आदि तहसील निम्बाहेड़ा जिला चिन्मण्डल क्षेत्र को दिनांक 10 अगस्त, 2010 से रिक्त घोषित किया गया है एवं वृहद सीमेंट संयंत्र प्रेषित करने हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिए दिनांक 10 अगस्त, 2010 से 09 सितम्बर, 2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है -

उपरोक्त क्षेत्र दिनांक 10 अगस्त, 2010 के स्थान पर दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से रिक्त घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त क्षेत्र पर आवेदन पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2010 से 09 सितम्बर, 2010 के स्थान पर 10 नवम्बर, 2010 से 09 दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त किये जायेंगे। अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।

आज्ञा की

(सहायक सचिव)
खान राज्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल / मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, खान राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर संज्ञा के संबंधित अधीक्षण खनि अभियंताओं / खनि अभियंताओं / सहायक खनि अभियंताओं / अधीक्षण भू-वैज्ञानिकों / वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों को इस अधिसूचना की प्रति भिजवाना को ब्यवस्था करें, साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर भी अप लोड किया जावे।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित कर लेना है कि इस संशोधित अधिसूचना दिनांक 06.08.2010 का असाधारण राजपत्र में दिनांक 04.08.2010 को ही प्रकाशन करा राजपत्र की प्रति इस विभाग एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें। अधिसूचना की सी0 डी0 संलग्न है।
3. रक्षित पत्रावली।

(सहायक सचिव)
शासन सहायक सचिव